[2023] 5 एस. सी. आर 861

अल्फा जी184 मालिकों का संगठन

बनाम्

मैगनम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 4718/2022)

15 मई, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्तिगण]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:धारा12 (1) (ए), 13 (6)-शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया-प्रतिनिधि क्षमता के बिना कई उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त शिकायत मंजूरी है-तथ्यों पर, आवंटी के अपीलकर्ता-संघ ने विलंबित कब्जे के लिए विलम्ब, के लिए मुआवजा और अतिरिक्त मांग के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कई उपभेगता शिकायतें दायर की -आवंटी के व्यक्तिगत हलफनामों के साथ अपीलकर्ता द्वारा दायर हलफनामे-प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका जिस पर इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी-फिर भी, प्रत्यर्थी ने समिती जिला निबंधक के समक्ष शिकायत दर्ज की कि अपीलकर्ता संघ के उपनियम 2012 के अधिनियम के अनुरूप नहीं थे-राज्य निबंधक को मामला विचारार्थ भेजा गया- राज्य निबंधक ने अपीलकर्ताओं को अपने उप-नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर, उनके पंजीयन रद्द कर दिये जाएगे अपीलार्थीयों द्वारा महानिबंधक को अपील किया गया- निबंधको के समक्ष फैसले के दौरान राष्ट्रीय आयोग ने महानिबंधक के समक्ष अपील का परिणाम आने तक कार्यवाई अनिश्चिचित काल तक के लिए रोक दी। इस दौरान उपनियम में संशोधन हुए-अपील पर अभिनिर्णीत किया गया- तथ्यों पर, आबंटित व्यक्ति दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं-इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है-ऐसे शिकायतकर्ता अपने लिए राहत चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं-इस प्रकार,

आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है-'शिकायतकर्ता' की परिभाषा धारा2 (ख) (i) में कई उपभोक्ता शामिल होंगे-अपीलार्थी के सदस्य, जिन्होंने शपथ पत्र दायर किए थे, धारा 12 (1)(क) के अंतर्गत आते हैं।-शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं-पंजीकरण से संबंधित मुद्दे और उपनियमों की कोई प्रासंगिकता नहीं है-व्यक्तिगत आवंटीओं द्वारा हलफनामे दायर किए गए हैं-परिशुद्ध और अति-तकनीकी दृष्टिकोण से उपभोक्तावाद की अवधारणा को नुकसान होगा-पांच साल बाद भी मामले आगे नहीं बढ़े हैं-इस प्रकार, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-हरियाणा पंजीकरण और समितियों का विनियमन अधिनियम, 2012

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-का उद्देश्यः अभिनिर्धारित2019 अधिनियम उपभोक्ताओं को एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया प्रदान करके मंचों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है-इसका उद्देश्य देश में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना है-उपभोक्ता के खिलाफ प्रावधानों को समझने में कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण अधिनियम के पीछे के उद्देश्य के खिलाफ जाएगा।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामहर्सोलिया मोटर्स, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 409; ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी (2022) 4 एस. सी. सी. 138-पर भरोसा किया।

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

(2022) 4 एससीसी 138	पर आधारित	पारा 18,19

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या.4718/2022

उपभोक्ता मामले No.3753/2017 में आर. ए. No.52/2020 में पारित में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नइँ दिल्ली के दिनांक 16.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos.329-332/2023

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल राठौर, सुश्री प्रियांजली सिंह, अपीलार्थी के लिए अधिवक्त्ता।

देबेश पांडा, वास देव वर्मा, कनिष्क अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति

तथ्य

1. अपीलार्थी हरियाणा पंजीकरण और समितियों के विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे इसके बाद "एच. आर. आर. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 6 के तहत दिनांकित 01.11.2017 प्रमाण पत्र के माध्यम से पंजीकृत आवंटी द्वारा गठित एक संघ है। यहाँ प्रतिवादी एक भवन निर्माता है जिसे एक आवास परियोजना के विकास का काम सौंपा गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी सहमत समय सीमा के भीतर वादा किए गए फ़्लैटों का निर्माण और उन्हें पूरा करने के अपने दायित्व में विफल रहा है। इसमे विफल रहने के कारण खुद के वजह से देर होने पर 863 मआवजे के लिए और उठाई गई अतिरिक्त मांगों पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थी ने शुरू में 54 आबंटियों और उसके बाद कुछ अन्य लोगों की ओर से उपभोक्ता शिकायत संख्या 3753/2017 दायर करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) का दरवाजा खटखटाया। तदनुसार, उपभोक्ता

शिकायत संख्या (ओं) 3751,3752,3753 सभी 2017 और 407/2018 के द्वाराये शिकायतें नामित आबंटियों की ओर से अपीलार्थी द्वारा दायर की गई हैं।

2. उपभोक्ता शिकायत संख्या 3753/2017 में पारित दिनांक 08.01.2018 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, आवंटीयों के व्यक्तिगत हलफनामों के साथ अपीलार्थी द्वारा दायर हलफनामों के बाद अभिवचन पूरे किए गए। उस स्तर पर, प्रतिवादी ने (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 3221/2018 के रुप मे एक रिट याचिका जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.8.2018 को पारित एस एल पी (ग) संख्यओ 23021-23022/2018, के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।

3. उपरोक्त के बावजूद, प्रत्यर्थी द्वारा समिति के जिला निबंधक के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता संघ के उपनियमों में उल्लिखित उद्देश्य और लक्ष्य एच. आर. आर. एस. अधिनियम के अनुरूप नहीं थे। जिला निबंधक, गुरुग्राम ने दिनांक 03.10.2018 के आदेश द्वारा मामले को राज्य निबंधक, हरियाणा को भेज दिया।

4. राज्य पंजीयक, हरियाणा ने अपीलार्थी को छह महीने के भीतर अपने उपनियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया, जो यह दर्शाते हुए है कि अनुपालन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप पहले से ही स्वीकृत निबंधक को रद्द कर दिया जाएगा। पीड़ित, अपीलार्थी ने हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष अपील दायर की।चूंकि हरियाणा के महापंजीयक के समक्ष कार्यवाही के आधार पर कुछ भी नहीं हुआ और इसकी दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलार्थी ने एक संशोधन किया जिसे जिला निबंधक, गुरुग्राम द्वारा 08.11.2019 पर विधिवत पंजीकृत किया गया था।

5. राष्ट्रीय आयोग द्वारा 13.11.2019 को सुनवाई के लिए शिकायत को लिया गया था।राज्य निबंधक के दिनांक 12.02.2019 के आदेश के बारे में सूचित

किए जाने के बाद, हरियाणा के निबंधक के समक्ष अपील के परिणाम की प्रतीक्षा में कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

6. अपीलार्थी ने लंबित अपील संख्या 3202019 में अभिलेख पर रखने के लिए रोक लगाने के अनुरोध को दोहराते हुए संशोधित उपनियमो को अभिलेख पर रखने हेतु हरियाणा के महापंजीयक को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 34595/2019 के रूप में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.11.2019 के आदेश के माध्यम से हरियाणा के महानिबंधक को अंतरिम आवेदनों पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था।

7. हरियाणा के महानिबंधक के समक्ष प्रत्यर्थी ने 04.10.2019 दिनांकित नोटिस की एक प्रति को आधारित करते हुए एक विवाद उठाया, जिसके द्वारा विभाग ने पंजीकरण को रद्द करने का इरादा व्यक्त किया था। तदनुसार, हरियाणा के महानिबंधक ने किसी भी पंजीकरण के रद्द होने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि वह हरियाणा के महानिबंधक द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश के साथ संशोधित उपनियमों को अभिलेख पर में रखे और कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए परिणामी प्रार्थना करे। दाखिल किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेकर अंतर्वर्ती आवेदन को अनुमति दी गई थी। आर. ए. सं. 52/2020 में एक समीक्षा आवेदन के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

9. इसके बाद, जिला निबंधक, गुरुग्राम ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा संशोधनों पर रोक लगा दी, जैसा कि पहले प्रमाणित किया गया था, इस आधार पर कि दिए गए छह महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। हरियाणा के महानिबंधक ने राज्य पंजीयक, हरियाणा के आदेश में कोई त्रुटियां नहीं पाते हुए अपील संख्या

320/2019 को खारिज कर दिया, हालांकि अपीलार्थी का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया था।

10. राज्य निबंधक और महानिबंधक, हरियाणा द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन के साथ सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19666/2021 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालाँकि, मामला अभी भी निर्णय के लिए लंबित है, अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

11. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष, प्रत्यर्थी द्वारा समीक्षा आवेदन में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें हरियाणा के महानिबंधक के दिनांकित 07.09.2021 को जारी आदेश पर भरोसा किया गया था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। इसी तरह, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के ध्यान में लाते हुए एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें रिट याचिका के लंबित होने और स्थगन आवेदन को शामिल किया गया। विवादित आदेशों द्वारा, अंतर्वर्ती आवेदनों के साथ सभी मामलों को रिट याचिका में उचित आदेशों की प्रतीक्षा में स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को हटाने की मांग के साथ वर्तमान अपीलें हमारे समक्ष दायर की गई हैं।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा और प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील श्री देबेश पांडा को सुना।

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अपीलार्थी को कानूनी उपचार का सहारा लेने से रोकने पर आमादा है।वर्ष 2017 में दायर की गई शिकायतों पर अभी तक गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है। रिट याचिका के लंबित होने का राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी के सदस्यों के खिलाफ आम जनता के हित का समर्थन किया जा रहा है। किसी भी मामले में, व्यक्तिगत आवंटियो द्वारा

हलफनामे दायर किए जाने के बाद, राष्ट्रीय आयोग ने मामलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में गलती की है।

14. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दलीलों में विसंगति है।यदि अपीलार्थी का पंजीकरण मौजूद नहीं है, तो शिकायत ही बनाए रखने योग्य नहीं होगी।यह मानते हुए भी कि एक व्यक्तिगत शिकायत को उठाया जा सकता है, मंच जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का होगा।चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य निबंधक और महानिबंधक द्वारा पारित आदेशों पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए विवादित आदेशों में कोई कमी नहीं है।

चर्चा

15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; 1986 का 68 (इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; 2019 का 35 (इसके बाद "2019 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) को एक प्रशंसनीय उद्देश्य मिला है। 2019 का अधिनियम उपभोक्ताओं को एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया प्रदान करके मंचों से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है।इसका उद्देश्य देश में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना है। उपभोक्ता के खिलाफ प्रावधानों को समझने में कोई भी तकनीकी दृष्टिकोण अधिनियम के पीछे के उद्देश्य के खिलाफ जाएगा। हम हाल के इस अदालत के राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का हर्सोलिया मोटर्स, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 409, के निर्णय पर भरोसा करना चाहेगे।

> "21. अधिनियम, 1986 एक सामाजिक लाभ-उन्मुख कानून है और इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए एक रचनात्मक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। अधिनियम, 1986 की प्रस्तावना के साथ शुरू करने के लिए, जो विधायी इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर

सकता है, इसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। "संरक्षण" शब्द का उपयोग अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी प्रदान करता है। विभिन्न परिभाषाएँ और प्रावधान जो विस्तृत रूप से इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका अर्थ इस दृष्टि से तय किए गए कानून से अलग किए बिना लगाया जाना चाहिए कि प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

22. वास्तव में, कानून आम आदमी को इस तरह के गलत से बचाने की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के तहत उपाय भ्रामक हो गया है।राज्य को हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की अनुमति देने वाले विभिन्न कानून और विनियम बेईमान लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गए हैं क्योंकि प्रवर्तन तंत्र या तो नहीं चलता है या यह उन कारणों से अप्रभावी और अक्षम रूप से चलता है जो बताए जाने की आवश्यकता नहीं है।

23. अधिनियम का महत्व उपभोक्ता को बाजार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। "उपभोक्ता", "सेवा", "व्यापारी", "अनुचित व्यापार व्यवहार" जैसी विभिन्न परिभाषाओं पर गौर करने से संकेत मिलता है कि विधायिका ने अधिनियम के दायरे और पहुंच को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। इनमें से प्रत्येक परिभाषा दो भागों में है, एक व्याख्यात्मक और दूसरा समावेशी। व्याख्यात्मक या मुख्य भाग स्वयं आयाम की अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है जो स्पष्ट रूप से ऐसी चीजों के व्यापकता को बड़ा करने के लिए इसके दायरे के

भीतर इसके व्यापक विस्तार को दर्शाता है जो अन्यथा इसके प्राकृतिक महत्व से परे होते।

24. इस प्रकार अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पक्ष में समझा जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक लाभ-उन्मुख कानून है।इस तरह के अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय न्यायालय/आयोग का प्राथमिक कर्तव्य एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, बशर्ते कि वह प्रावधानों की भाषा का उल्लंधन न करे और अधिनियम के प्रयास के उद्देश्य के विपरीत न हो।"

16. 1986 के अधिनियम की धारा 2 (बी), जिसके तहत वर्तमान शिकायतें दर्ज की गई थीं, "शिकायतकर्ता" शब्द को परिभाषित करती है।यह निश्चित रूप से प्रकृति में उदाहरणात्मक है जिसके लिए एक व्यापक, संपूर्ण और समावेशी अर्थ और व्याख्या की आवश्यकता होती है।1986 के अधिनियम की धारा 12 के साथ भी ऐसा ही मामला है जो शिकायत करने के तरीके को निर्दिष्ट करता है।हम प्रासंगिक प्रावधानों को रिकॉर्ड पर रखेंगे,

"2. परिभाषाएं:-- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

xxx xxx xxx

(ख) "शिकायतकर्ता" का अर्थ है -

(i) उपभोक्ता; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(iii) केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(iv) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं;

(v) किसी उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि; जो या जो शिकायत करता है।

12. जिस तरीके से शिकायत की जाएगी- (1) ए बेचे गए या वितरित किए गए या बेचे जाने के लिए सहमत या वितरित किए जाने के संबंध में या प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत जिला मंच के पास दर्ज की जा सकती है -

(क) वह उपभोक्ता जिसे ऐसी वस्तुएँ बेची या वितरित की जाती हैं या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत होती हैं या ऐसी सेवा प्रदान की जाती हैं या प्रदान करने के लिए सहमत होती हैं;

(ख) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, चाहे वह उपभोक्ता जिसे माल बेचा या वितरित किया गया हो या बेचने या वितरित करने के लिए सहमत हो या प्रदान की गई सेवा या प्रदान करने के लिए सहमत हो, ऐसे संघ का सदस्य है या नहीं;

(ग) एक या अधिक उपभोक्ता, जहाँ समान रुचि रखने वाले कई उपभोक्ता हैं, जिला मंच की अनुमति से, सभी इच्छुक उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए; या

(घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में।

(2) उप-धारा (1) के तहत दायर की गई प्रत्येक शिकायत के साथ ऐसी शुल्क राशि और ऐसी रीति से देय होगी जो निर्धारित की जाए।

(3) उप-धारा (1) के तहत की गई शिकायत की प्राप्ति पर, जिला मंच, आदेश द्वारा, शिकायत को आगे बढ़ाने या अस्वीकार करने की अनुमति दे सकता हैः

बशर्ते कि इस धारा के तहत शिकायत तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है:

बशर्ते कि शिकायत की स्वीकार्यता का निर्णय आम तौर पर शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(4) जहां किसी शिकायत को उप-धारा (3) के तहत आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, वहां जिला मंच इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से शिकायत के साथ आगे बढ़ सकता है:

बशर्ते कि जहां जिला फोरम द्वारा कोई शिकायत स्वीकार की गई है, उसे किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी प्राधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ।

13. शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया - (1) जिला फोरम, किसी शिकायत को स्वीकार करने पर, यदि वह किसी वस्तु से संबंधित है,-

xxx xxx xxx

(6) जहां शिकायतकर्ता धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के प्रावधान इस संशोधन के अधीन लागू होंगे कि उसमें किसी वाद या डिक्री के प्रत्येक संदर्भ को शिकायत या उस पर जिला मंच के आदेश के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

17. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) (आई) की व्याख्या "उपभोक्ता" के रूप में की जाएगी।1986 के

अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) (बी) (आई) उप-धारा (1) (बी) (4) की तुलना में एक अलग और अलग आधार पर है, जहां समान वाले कई उपभोक्ता हैं। 1986 के अधिनियम की धारा 12 को अकेले 1986 के अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो शिकायत को स्वीकार करने की प्रक्रिया पर विचार करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित) के नियम 8 को लागू करने की आवश्यकता, जो पूरी तरह से अन्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वादी की बात करता है, केवल 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत शिकायत वाले मामले में आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में, इसका कोई आवेदन नहीं होता है जब समान रूप से रखे गए शिकायतकर्ता संयुक्त रूप से उसी राहत की मांग करते हुए शिकायत करते हैं।ऐसे मामले में, आदेश I नियम 8 सी. पी. सी. के अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, विशेष रूप से जब इसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।ऐसे शिकायतकर्ता अपने लिए राहत चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं।

18. 2019 के अधिनियम में पहले वाले अधिनियम में पाए गए समान सामग्री प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अनिल कुमार विरमानी (2022) 4 एस. सी. सी. 138 अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार हैः-

> "35. उपरोक्त प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि इस तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां भी एक से अधिक उपभोक्ता हैं, उन्हें केवल आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. का सहारा लेना चाहिए, भले ही शिकायत मामले में रुचि रखने वाले सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए न हो। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां केवल "कुछ उपभोक्ता" और "कई उपभोक्ता" की समान रुचि हो। इन कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ जुड़ने और एक संयुक्त शिकायत दर्ज करने के निषेध के लिए इस

अधिनियम में कुछ नही होएक संयुक्त शिकायत एक प्रतिनिधि क्षमता में दायर की गई शिकायत के विपरीत है। धारा 35 (1) (सी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत समान हित वाले कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए होनी चाहिए।इसका मतलब यह नहीं है कि जहां समान रुचि रखने वाले बहुत कम उपभोक्ता हैं, वे एक साथ शामिल भी नहीं हो सकते हैं और एकल शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल स्वतंत्रता और अलग-अलग शिकायतों का सहारा लेना चाहिए।

36. यह सच है कि धारा 2 (5) (i) "एक उपभोक्ता" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।यदि धारा 2 (5) (i) में दिखाई देने वाले स्वर "ए" और "उपभोक्ता" शब्द को एक से अधिक व्यक्तियों के लिए समझा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप धारा 2 (5) (vi) को पढ़ते समय विनाशकारी परिणाम होंगे। धारा 2 (5) (vi) में कहा गया है कि उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में, "उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि" शिकायतकर्ता होगा।जब तक "कानूनी उत्तराधिकारी" और "कानूनी प्रतिनिधि" शब्दों का अर्थ "कानूनी उत्तराधिकारीयों" और "कानूनी प्रतिनिधियो" नहीं समझा जाता है, तब तक प्रावधान का एक सार्थक अध्ययन नहीं हो सकता है।

37. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 (2) के तहत, एकवचन के शब्दों में सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में बहुवचन और इसके विपरीत शब्द शामिल होंगे, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो।हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (5) या 35 (1) (सी) या 38 (11) के विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पढ़ सकते हैं

ताकि यह माना जा सके कि एकवचन में शब्द, अर्थात् "उपभोक्ता" में बहुवचन शामिल नहीं होगा।

38. उदाहरण के लिए हम एक ऐसे मामले को ले सकते हैं जहां एक आवासीय अपार्टमेंट पति और पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से या माता-पिता और बच्चे द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा जाता है।यदि उन्हें बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वे दोनों संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराने के हकदार हैं।ऐसी शिकायत धारा 35 (1) (सी) के तहत नहीं आती है, बल्कि धारा 35 (1) (ए) के तहत आती है।ऐसी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को इस आधार पर धारा 2 (5) (i) से बाहर नहीं किया जा सकता है कि यह किसी एक उपभोक्ता द्वारा नहीं है।धारा 38 (11) के साथ पठित आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. के आवेदन को आकर्षित करने वाली धारा 2 (5) (वी) के तहत आने वाले व्यक्तियों द्वारा इसे एक के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

39. इसलिए, धारा 2 (5) के साथ पठित धारा 35 (1) की व्याख्या करने का उचित तरीका यह होगा कि शिकायत दर्ज की जा सकती हैः

(i) एकल उपभोक्ता द्वारा;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा;

(iii) एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से, अन्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किए बिना अपनी खुद की शिकायतों के निवारण की मांग करना, जिनका समान हित हो या न हो;

(iv) एक या अधिक उपभोक्तओं द्वारा कई उपभोक्ताओं के लाभ के लिए या उन के बदले में

(v) केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण।

40. यह याद रखना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान धारा 100 के आधार पर तत्काल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका विरोध नहीं करते हैं। यहां तक कि धारा 38 जो शिकायत की जांच के लिए आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है, सी. पी. सी. के प्रावधानों के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखती है। यद्यपि धारा 38 की उप-धाराएँ (9), (11) और (12) सिविल प्रक्रिया संहिता के केवल कुछ प्रावधानों के लिए विशिष्ट संदर्भ देती हैं, आदेश 1 नियम 1 के पीछे का सिद्धांत जो एक से अधिक व्यक्तियों को वादी के रूप में मुकदमे में शामिल होने में सक्षम बनाता है, स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं है।

41. इसलिए, हमारा विचार है कि हालांकि राष्ट्रीय आयोग इस मामले में गलत था, लेकिन आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. के साथ पठित धारा 35 (1) (सी) के तहत आवेदन की अनुमति देने में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को ही खारिज कर दिया जाए ।उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत को एक संयुक्त शिकायत के रूप में माना जा सकता है न कि 1134 खरीददारो के प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत के रूप में। अन्य फ्लैटों के खरीदार, जैसे कि इसमें हस्तक्षेप करने वाले, यदि वे चाहें तो उपभोक्ता शिकायत में पक्षकार के रूप में शामिल हो सकते हैं।वास्तव में, यह हस्तक्षेप करने वालों द्वारा कहा गया है कि विवादित आदेश [अनिल कुमार विरमानी बनाम ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी.

ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 417] के अनुसार, विज्ञापन जारी किए गए थे और हस्तक्षेप करने वालों ने पहले ही राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अभियोग आवेदन दायर कर दिया है। वे पक्षकार बनाये जाने के हकदार है ।"

(जोर दिया गया)

19. ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी के सदस्य, जिन्होंने शपथ पत्र दायर किए थे, 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (ए) के तहत आते हैं, और इसलिए, इस मुद्दे पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या मामला 1986 के अधिनियम की धारा 12 (1) (बी) के तहत आएगा, इस अच्छे कारण से कि 1986 के अधिनियम की धारा 2 (बी) (आई) के तहत 'शिकायतकर्ता' की परिभाषा में कई उपभोक्ता शामिल होंगे। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ऊपर) में बनाए कानून इस मामले मे चारो पर लागू होगा।

20. राष्ट्रीय आयोग ने दिनांकित 6.3.2023 के उपभोक्ता शिकायत 48/2021 मे अक्षय कुमार और अन्य बनाम अदानी ब्रह्मा सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के आगामी फैसले मे दोनों मामलों पर उपरोक्त निर्णय पर ध्यान दिया, अर्थात्, एक ही शिकायत दर्ज करने में समान और समान रुचि रखने वाले कई शिकायतकर्ताओं का और आर्थिथिक अधिकार क्षेत्र की गणना मे। निम्नलिखित अनुच्छेद प्रासंगिक होंगे,

"27. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ब्रिगेड उद्यमों (उपर्युक्त) में निर्धारित किया गया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिनिधि क्षमता में अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा समान हित वाले कई उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

28. जैसा कि उपरोक्त सभी उपभोक्ता शिकायतों में, हित की कोई समानता नहीं है, ब्रिगेड उद्यमों (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को आधारित करते हुए, अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 35 (1) (सी) के तहत प्रतिनिधि क्षमता में शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, सभी मूल शिकायतकर्ता को संबंधित शिकायत मामलों मे संयुक्त शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, वर्तमान उपभोक्ता शिकायत मामलों को केवल शिकायतकर्ताओं की ओर से दायर संयुक्त शिकायतों के रूप में माने जाने का आदेश दिया जाता है, जिन्होंने मूल रूप से संबंधित शिकायतें दायर की हैं।

29. अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रत्येक शिकायतकर्ता को 2 करोड़ से अधिक का भुगतान करना होगा या नहीं, ताकि यह आयोग उनकी शिकायतों पर विचार कर सके।

30. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिगेड उद्यमों (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित किया है (पैरा 35,36 और 37), कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ शिकायतकर्ताओं को एक साथ शामिल होने और संयुक्त शिकायत दर्ज करने से रोकता है। शिकायत शब्द में बहुवचन अर्थात शिकायतें भी शामिल हैं। इस प्रकार, एक संयुक्त शिकायत बनाए रखने योग्य है और इसे एक-शिकायत के रूप में माना जाएगा।"

(जोर दिया गया)

21. ऐसा मानते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने दिनांकित 7.10.2016 के उपभोक्ता शिकायत सं 97/2016 अम्बरीश कुमार शुक्ला बनाम फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में अपने पहले के निर्णय पर ध्यान दिया है जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है,

"31. xxx xxx xxx

(ii) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत कोई शिकायत इस आयोग के समक्ष बनाए रखने योग्य है, जहां किसी भी आबंटियों/खरीदारों के संबंध में दावा किए गए माल या सेवाओं का मूल्य और मुआवजा, यदि कोई हो, एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।(iii) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत कोई शिकायत इस आयोग के समक्ष बनाए रखने योग्य है, जहां एक या अधिक आवंटी के मामले में माल या सेवाओं का मूल्य और किसी व्यक्तिगत आवंटी के संबंध में दावा किया गया मुआवजा एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन अन्य आवंटी के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(iv) क्या किसी परियोजना/भवन में कई फ्लैटों के आवंटन के मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत कोई शिकायत बनाए रखने योग्य है, जहां आवंटन/बुकिंग/खरीद अलग-अलग तिथियों पर की जाती है और या फ्लैट और/या फ्लैट के क्षेत्र की सहमत लागत सभी बुकिंग/आवंटन/खरीद में समान नहीं है।"

32. आदेश के पैरा 12 में, वृहद पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः-

"12. मुद्दा सं. (ii) और (iii)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21, जहां तक प्रासंगिक है, यह प्रावधान करती है कि इस आयोग को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां माल या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे, यदि कोई हो, का दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए, आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से जो देखा जाना चाहिए, वह है वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और शिकायत में दावा किए गए मुआवजे की राशि।यदि (i) माल या सेवाओं का मूल्य और (ii) शिकायत में दावा किया गया मुआवजा 1 करोड़ से अधिक है, तो इस आयोग के पास शिकायत पर विचार करने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र होगा।इसी तरह, यदि (i) माल या सेवाओं और (ii) मुआवजे, यदि कोई हो, का कुल मूल्य 20 लाख से अधिक है, लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है, तो राज्य आयोग के पास शिकायत पर विचार करने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र होगा। चूँकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत शिकायत केवल तभी दायर की जा सकती है जब समान हित वाले कई उपभोक्ता हों और इसे सभी इच्छुक उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए दायर किया जाना है, यानी समान हित वाले सभी उपभोक्ता, यह उन सभी असंख्य उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं के मूल्य और उन सभी असंख्य उपभोक्ताओं के लिए दावा किए गए कुल मुआवजे, यदि कोई हो, का योग है, जो इस आयोग के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेगा। यदि समान हित वाले सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए माल या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं का कुल मूल्य और उन सभी के लिए दावा किया गया कुल मुआवजा, यदि कोई हो, 1 करोड़ से अधिक आता

है, तो आर्थिक अधिकारिता केवल इसी आयोग के पास होगी। इसलिए, खरीदे गए माल या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं का मूल्य और एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के संबंध में दावा किए गए मुआवजे की मात्रा, यदि कोई हो, ऐसी शिकायत में आर्थिक अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से बिल्कुल अप्रासंगिक होगी। वास्तव में, लोक स्वस्थय अभियंत्रण विभाग बनाम उपभोक्ता संरक्षण समिति I (1992) सीपीजे 182 (एन सी) में इस आयोग की चार सदस्यीय पीठ के फैसले को देखते हुए यह मुद्दा अब अनछुआ नहीं है। उपरोक्त संदर्भित मामले में, एक शिकायत को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कथित लापरवाही के लिए मुआवजे की वसूली की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग पीलिया से संक्रमित हो गए थे। शिकायत में ऐसे 46 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह आरोप लगाया गया था कि हजारों अन्य पीड़ित थे जिन्हें इसी तरह रखा गया था और यह शिकायत उन सभी की ओर से दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने प्रत्येक छात्र पीड़ित के लिए 20,000/-, प्रत्येक सामान्य पीड़ित के लिए 10,000/- और पीलिया के कारण मरने वालों के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए 1,00,000 के मुआवजे की मांग की थी। जिला मंच ने माना कि शिकायत पर निर्णय लेने के लिए उसके पास कोई आर्थिक अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य आयोग ने यह विचार रखा कि जिला मंच को प्रत्येक उपभोक्ता के लिए निर्दिष्ट मूल्य के अनुसार जाना होगा। राज्य आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, इस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"5. हमारी राय में यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि अधिनियम की धारा 11 की शर्तों के तहत जिला मंच का आर्थिक क्षेत्राधिकार याचिका में दावा किए गए मुआवजे की मात्रा पर निर्भर करेगा। अधिनियम की धारा 11 में उपयोग किए गए सरल शब्दों पर, याचिका में दावा किए गए मुआवजे की कुल मात्रा अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण करेगी और जब शिकायत कई व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में दायर की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो उन सभी व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधि निकाय द्वारा दावा की गई मुआवजे की कुल राशि, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए शिकायत याचिका के मूल्यांकन को नियंत्रित करेगी।

6. याचिका में दावा किए गए मुआवजे की मात्रा 1 लाख से अधिक होने के कारण जिला मंच यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से सही था कि शिकायत पर निर्णय लेने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। राज्य आयोग द्वारा उक्त आदेश को वापस लेना कानून के विपरीत था।

इसलिए, किसी व्यक्तिगत खरीदार/आवंटनकर्ता द्वारा खरीदे गए माल के मूल्य या किराए पर ली गई सेवा और किसी व्यक्तिगत खरीदार/आवंटनकर्ता के संबंध में दावा किए गए मुआवजे के बावजूद, इस आयोग के पास शिकायत पर विचार करने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र होता यदि उन कई उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए माल या किराए पर ली गई या ली गई सेवाओं के मूल्य का कुल, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की गई है और उन सभी के लिए दावा किया गया कुल मुआवजा 1 करोड़ रुपये से अधिक है।

मुद्दा सं. (iv)

13. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 8 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के लागू होने के लिए जो आवश्यक है, वह है हित की समानता यानी कई व्यक्तियों की एक सामान्य शिकायत जिसका प्रतिनिधि कार्रवाई के माध्यम से निवारण किया जाना चाहिए।इसलिए, जब तक उपभोक्ताओं की शिकायत समान है और उन सभी के लिए समान राहत का दावा किया जाता है, तब तक फ़्लैट/भूखंड की लागत, आकार, क्षेत्र और बुकिंग/आवंटन/खरीद की तारीख पूरी तरह से महत्वहीन होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन निर्माता/निर्माणकर्ता ने किसी परियोजना में 100 फ़्लैट बेचे हैं, जिनमें से 25 तीन-शयनकक्ष वाले फ़्लैट हैं, 25 दो-शयनकक्ष वाले फ़्लैट हैं और 50 एक-शयनकक्ष वाले फ़्लैट हैं और वह उन फ़्लैटों का समय पर कब्जा देने में विफल रहा है, तो सभी आवंटनकर्ता अपने-अपने फ़्लैट/भूखंडों के आकार की परवाह किए बिना, उनकी संबंधित खरीद की तारीख और उनके द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत लागत की एक सामान्य शिकायत है, अर्थात भवन निर्माता/निर्माणकर्ता द्वारा उन्हें बेचे गए फ़्लैट/भूखंड का कब्जा देने में विफलता और ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लाभ के लिए या उनकी ओर से दायर की गई शिकायत और उन सभी के लिए समान राहत का दावा करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत बनाए रखा जाएगा। दावा की गई राहत समान/समरुप होगी यदि उदाहरण के लिए, भवन निर्माता द्वारा समय पर कब्जा, धनवापसी या कब्जा देने में विफलता के मामले में या उन सभी के लिए मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के वैकल्पिक धनवापसी का दावा किया गया है। एक या अधिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग राहत, जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए शिकायत दर्ज की गई है, ऐसी शिकायत में दावा नहीं किया जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

22. निम्नलिखित अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा गया है,

"34. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अम्बरीश कुमार शुक्ला (उपरोक्त) के मामले में इस आयोग की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि इस आयोग की पांच सदस्यीय पीठ ने सी. सी. संख्या 1703/2018 , रेणु सिंह बनाम अनुभव डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड "और अन्य संबंधित मामले" में दिनां 26.10.2021 को पारित आदेश के माध्यम से की है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस आयोग की पूर्ण पीठ ने अम्बरिश कुमार शुक्ला और 21 अन्य बनामफेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2017 सी. पी. जे. 1 (एन. सी.) ने आर्थिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर कानून को सही ढंग से निर्धारित किया है।

35. हालांकि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत, वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा उपभोक्ता मंच के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किया जाना था, लेकिन अम्बरीश कुमार शुक्ला (ऊपर) के मामले में बड़ी पीठ, द्वारा निर्धारित सिद्धांत शिकायत में विचार करने के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए भी लागू होगा जहां एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त शिकायत के रूप में शिकायत दर्ज की गई है।

36. निश्चित ही, वर्तमान मामलों में, संयुक्त शिकायत में शिकायतकर्ता के रूप में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल का मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए, इस आयोग के पास सभी वर्तमान संयुक्त शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 58 (क) (झ) (आई) के तहत आर्थिक अधिकार क्षेत्र है।तदनुसार,

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सभी वर्तमान संयुक्त शिकायतें इस आयोग के समक्ष बनाए रखने योग्य हैं।"

(जोर दिया गया)

23. कानून के उपरोक्त प्रतिपादन के आलोक में, जिसे राष्ट्रीय आयोग ने स्वयं अपने बाद के निर्णय में ध्यान में रखा, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं, और किसी भी मामले में, पंजीकरण और उपनियमों से संबंधित मुद्दे को कोई प्रासंगिकता नहीं मिली है, विशेष रूप से अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के आलोक में कि व्यक्तिगत आवंटनकर्ताओं द्वारा शपथ पत्र दायर किए गए हैं। एक पांडित्यपूर्ण और अति-तकनीकी दृष्टिकोण उपभोक्तावाद की अवधारणा को ही नुकसान पहुंचाएगा। हम आगे ध्यान देते हैं कि पाँच साल बाद भी अपीलार्थी आगे बढ़ने में असमर्थ है, और मामले आगे नहीं बढ़े हैं।

24. मामले को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलों की अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आयोग गुण-दोष के आधार पर मामलों की सुनवाई शीघ्रता से करेगा। अर्थदंड के बारे में कोई आदेश नहीं।

निधि जैन अपीलों की अनुमति है।

(सहायकः अर्जुन नारंग और तमन्ना, एलसीआरए)